विषय : सम्मान के नाम पर विवाहों में जाति पंचायत, आदि का विधिविरुद्ध हस्तक्षेप : विधायी अवसंरचना का सुझाव

परामर्श पत्र

1. सगोत्र या अपनी जाति/धर्म के बाहर विवाह करने वाले या विवाह करने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं सावधिकतः प्रकाश में आती रहती हैं । यह पता चला है कि प्रतिशोध या क्रमिक प्रभावों के भय से अधिकांश मामले उजागर ही नहीं होते हैं । प्रायः यह प्रकाश में आता है कि इन अपराधों और अन्य संबंधित घटनाओं के होने के कारण 'खाप पंचायत', 'कट्टा पंचायत' आदि के नाम से जाति/समुदाय सभाओं के हस्तक्षेप से जीवन और स्वतंत्रतता के गंभीर परिणाम होते हैं । जाति आधार पर एकत्र ये सभाएं स्वयं 'आपत्तिजनक' विवाहों पर विचार करने और घोषित करने की शक्ति और प्राधिकार ग्रहण कर लेते हैं और जीवन तथा स्वतंत्रता की लगभग बिलकुल परवाह नहीं करते तथा न्याय प्रशसन की प्रक्रियाओं से भी भयभीत नहीं होते । दंड विधि ऐसी जाति सभाओं के विधिविरुद्ध कार्यों पर प्रत्यक्षतः लागू नहीं होती और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है । इसी बीच निर्दोष नवयुवकों को सताया जाता है और उत्पीड़ित किया जाता है और ऐसी सभाएं अबाधित प्राधिकार का प्रयोग करती रहती हैं तथा ऐसा लगता है कि ये सभाएं स्वयं को किसी सामाजिक नियंत्रण के अधीन लाने वाले किसी सुझाव का भी विरोध करती हैं ।

2. खाप पंचायतों का घातक आचरण और इसी प्रकार विधि को अपने

Archived

हाथों में लेना, सगोत्र तथा अन्तर-जातीय विवाहों की अविधिमान्यता और अनौचित्य पर निर्णय सुनाना तथा नव जोड़ों को दंड देना और कुटुंब के सदस्यों को किसी भी तरह उनके निर्णय को निष्पादित करने का दबाव डालना विधिसम्मत नियमों के खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण और प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वंत्रता पर आक्रमण की कोटि में आता है ।

3. पुराने समय में चाहे जो भी धारणा रही हो, सगोत्र विवाह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है । हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1946 का अधिनियमन इस बाबत किसी शंका को दूर करने के लिए किया गया था । अधिनियम ने अभिव्यक्ततः उसी जाति के उसी 'गोत्र' या 'प्रवर' या भिन्न-भिन्न उप-विभाजनों के हिन्दुओं के बीच विवाह को विधिमान्य घोषित किया था । हिन्दू विवाह अधिनियम सगोत्र या अन्तर-जातीय विवाह को प्रतिषिद्ध नहीं करता ।

4. ग्राम के बुजुर्गों या कुटुम्ब के बुजुर्गों की धारणा को इच्छुक जोड़ों पर थोपा नहीं जा सकता है और किसी को समुदाय सम्मान या कुटुम्ब सम्मान की रक्षा के नाम पर बल का उपयोग करने या दूर-गामी अनुशास्ति अधिरोपित करने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसी सूचना है कि सभी या कुछ पंचायतदारों या उनकी मौनानुकूलता से तथाकथित पथभ्रष्ट जोड़ों के विरुद्ध सगे नातेदारों या कुछ तीसरे पक्षकारों द्वारा सदोष परिरोध, सतत प्रपीड़न, मानसिक यातना, कठोर शारीरिक क्षति समेत कठोर कार्रवाई का अवलंब लिया जाता है । प्रायः नव जोड़ों, कुटुम्बों और स्थानीय निवासियों के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले सामाजिक बहिष्कार और अन्य अवैध अनुशास्तियों का अवलंब लिया जाता है । सार्वजनिक व्यवस्था आयामों पर

Archived

भी ऐसे सभी कार्यों का संचयी प्रभाव पड़ता है ।

5. अरुमुगम सेरवई बनाम तमिलनाडु राज्य [(2011)6 एस. सी. सी. 405 में प्रकाशित] के हाल ही के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधि को अपने हाथों में लेने और ऐसे घृणात्मक क्रियाकलापों में लिप्त होने की खाप/कट्टा पंचायतों के आचरण की निन्दा की जो अपनी इच्छा से विवाह कर रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालते हैं ।

6. "सम्मान मृत्यु" को हत्या के रूप में सम्मिलित करते हुए और सबूत का भार अभियुक्त पर डालते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं । इन प्रस्तावों का अध्ययन किया गया । अनौपचारिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से विचारों को भी सुनिश्चित किया गया है । इन और विधि के कतिपय अन्य प्रतिमान की प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात्, स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित विधि की एक व्यापक अवसंरचना तैयार की गई है और यहां संलग्न की गई है । इसके संदर्भ में जनता के विचार आमंत्रित किए जाते हैं । प्रारूप विधान (संलग्न)

7. पूर्वोक्त उपबंधों के पीछे यह धारणा छिपी है कि इस आपत्ति के आधार पर कि अपनी इच्छा से विवाह कर रहे विवाहयोग्य नवयुवक या नवयुवतियां उसी गोत्र या भिन्न-भिन्न जाति या संप्रदाय के हैं, उनके आचरण पर चर्चा करने और आक्षेप करने के प्रयोजन से इकट्ठा होने या सभा करने के विरुद्ध आरंभ से ही वर्जित किया जाए । पंचायतदारों या जाति के बुजुर्गों को ऐसे नवयुवा जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके विवाह विधि द्वारा अनुमन्य हैं और

Archived

वे ऐसी स्थिति नहीं पैदा कर सकते जिसके द्वारा ऐसे जोड़ों को संबद्ध ग्राम/इलाके में शत्रुतापूर्ण वातावरण में ढकेल दिया जाता है और उनकी सुरक्षा का जोखिम बढ़ जाता है । ऐसे निरंकुश कार्यों की प्रवृत्ति सामाजिक तनाव और असामंजस्य भी पैदा करना होता है । सामाजिक अधिक्रम पर आधारित ऐसी कोई मानसिक दशा या आस्था सामाजिक नियंत्रण और विनियम से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता जहां तक ऐसी आस्था रखने वाले लोग सही और गलत के प्रवर्तन के अभिकर्ता के रूप में स्वयं का प्रकटन करते हैं । विधि-विरुद्ध प्रयोजन अर्थात् विवाह जो अन्यथा विधि की सीमाओं के भीतर है, को अननुमोदित करने के लिए जमाव करने और पारिणामिक कार्रवाई करने को अपराध माना जाना चाहिए क्योंकि इससे संबद्ध व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचने की संभावना है ।

8. प्रस्तावित विधि भारतीय दंड संहिता के ऐसे उपबंधों के अल्पीकरण में नहीं है जो जाति पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने विधिविरुद्ध उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए गंभीर प्रकृति के विभिन्न अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं ।

9. आयोग का प्रथमदृष्टया यह मत है कि तथाकथित 'सम्मान मृत्यु' को इस उपबंध की परिधि के भीतर लाने के लिए भा. दं. सं. की धारा 300 में एक उपबंध सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । भा. दं. सं. के विद्यमान उपबंध ऐसे लक्ष्यित व्यक्ति जिसने अभिकथित रूप से जाति या समुदाय के सम्मान को धूमिल किया है, की मृत्यु करने या शारीरिक अपहानि कारित करने के प्रकट कार्यों को पैदा करने वाली

Archived

स्थितियों से निपटने के लिए काफी पर्याप्त हैं । किसी व्यक्ति को मारने का हेतुक धारा 300 में पृथक् उपबंध लाने का वास्तविक न्यायौचित्य नहीं पैदा करता जैसा प्रस्तावित विधेयक (जो समाचारपत्रों में प्रकाशित है) के अधीन किया जाना अनुध्यात है । संभवतः, ऐसे खंड को जोड़े जाने से भ्रम और निर्वचनात्मक कठिनाई पैदा हो सकती है ।

10. इसके अतिरिक्त, हत्या, आदि या उसके दुष्प्रेरण के गंभीर अपराध वाले अभियोगों से जूझ रहे अभियुक्त पर भार परिवर्तित करना वांछनीय नहीं है । ऐसा प्रस्ताव हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में स्वीकृत और आमेलित न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा । तार्किक रूप से, यदि सबूत के भार को ऐसे मामले में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसा अनेक अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में भी करना होगा । एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है और तात्कालिक स्थितियों से निपटने के लिए आपराधिक प्रक्रिया की सख्ती को आमूल-चूल रूप से विस्तार करने के किसी प्रयास का विपरीत प्रभाव हो सकता है । ऐसे प्रबल उपबंध को सम्मिलित करने से बचने की आवश्यकता है । इसके विकल्प के रूप में, आयोग का प्रथमदृष्टया यह मत है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड 3 और 4 में प्रतिषिद्ध कार्यों के कार्य की बाबत उपधारणा की जा सकती है कि क्या वह विवाहित या विवाह करने के आशयित नव जोड़े के विशुद्ध विधिक आचरण की चर्चा करने और निंदा करने के प्रयोजन के लिए बुलाए गए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है । यह इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक है कि जमाव के एक या अधिक सदस्यों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिकाओं की पहचान के कार्य को पूरा करना कठिन है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उद्घाटित करने के इच्छुक नहीं होंगे और पारिस्थितिक साक्ष्य दोषी

Archived

व्यक्ति को फंसाने के लिए बहुत पर्याप्त नहीं होगा । ऐसी स्थिति में, खंड 6 द्वारा यथापरिकल्पित उपधारणा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी ।

11. इस संदर्भ में, आयोग यह मानता है कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के उपबंधों की सादृश्यता करना एक से अधिक कारणों से उचित नहीं है । 'सती' एक बर्बरतापूर्ण और स्थापित सामाजिक बुराई है जो देश के कतिपय भागों में व्याप्त है । उस बुराई की महत्ता और गंभीरता की तुलना इस समस्या से नहीं की जा सकती है । अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ' सती' का अपराध हमेशा इससे जुड़े अनुष्ठानों और समारोहों से युक्त एक सार्वजनिक कार्य रहा है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को कठिनाई के बिना पहचाना जा सकता है । ऐसे मामलों में अभियोग ठोस साक्ष्य पर आधारित होते हैं ।

भारत का विधि आयोग अधिमानतः 4 सप्ताह के भीतर इस पत्र का उत्तर प्राप्त करना चाहता है जो डाक या lci-dla@nic.in ई मेल पर भेजा जा सकता है ।

आयोग का वेबसाइट: http://lawcommissionofindia.nic.in
डाक का पता : भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, भारतीय विधि संस्थान भवन (उच्चतम न्यायालय के सामने), भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001, फैक्स : 23383564

.....

Archived

परामर्श पत्र का उपाबंध

	विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक, 2011 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और उत्पीड़न का निवारण करने तथा सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–	
	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) अधिनियम, 2011 है । 2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है । 3. यह उस तारीख को राज्य में प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

Archived

	सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।	
	2. (1) व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह, इस आधार पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परंपरा का अनादर हुआ है या जमाव के सभी सदस्यों या भाग गठित करने वाले किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या संबद्ध इलाके के लोगों की ख्याति धूमिल हुई है, किसी समय किसी विवाह पर विचार करने या चर्चा करने या निन्दा करने के आशय से इकट्ठा नहीं होगा, जमाव नहीं करेगा या एकत्र नहीं होगा । स्पष्टीकरण : 'विवाह' के अंतर्गत प्रस्तावित या आशयित विवाह सम्मिलित होगा ।	विधिविरुद्ध जमाव
	(2) ऐसे जनसमूह या जमाव या सभा को विधिविरुद्ध जमाव समझा जाएगा और ऐसे जमाव को संचालित या आयोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य छह मास से अन्यून की अवधि जो एक वर्ष तक हो सकती है, के कारावास से दंडनीय होगा और दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।	
	3. विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो अकेले या अन्य ऐसे सदस्यों से सहयोग से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सलाह देता है, प्रबोधित करता है या दबाव डालता है जिससे	स्वतंत्रता का खतरा

Archived

	कि ऐसे विवाह को रोका या अननुमोदित किया जा सके जिस पर विधिविरुद्ध जमाव के उक्त सदस्यों द्वारा आक्षेप किया गया है, या ऐसे जोड़े या उसमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के प्रति वैमनस्य का वातावरण पैदा करता है, उनकी स्वतंत्रता के खतरे में किया गया कार्य समझा जाएगा और खतरे का ऐसा कार्य एक वर्ष से अन्यून की अवधि किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और बीस हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा ।	
	4(1) विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो ऐसे विवाह जिस पर आक्षेप किया जा रहा है, से संबंधित उस जमाव के विधिविरुद्ध विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जोड़े या उनमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के आपराधिक अभित्रास में लिप्त होता है, वह एक वर्ष से अन्यून की अवधि किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और तीस हजार रुपए के जुर्माने से भी दायी होगा परंतु यदि धमकी से भा. दं. सं. की धारा 506 के दूसरे भाग में निर्दिष्ट विवरण की अपहानि या क्षति कारित होती है तो अधिकतम दंड तीन वर्ष के बजाय सात वर्ष के कारावास तक होगा और जुर्माना तीस हजार रुपए तक होगा । स्पष्टीकरण : 'आपराधिक अभित्रास' पद का वही अर्थ	आपराधिक अभित्रास

Archived

	होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में है ।	
	5. धारा 2, 3 और 4 के उपबंध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में ।	भा.दं.सं. के उपबंधों का अप्रभावित बना रहना
	6. धारा 3 या धारा 4 के अधीन अभियोजन में, यदि यह पाया जाता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति ने विधिविरुद्ध जमाव में भाग लिया या हमेशा भाग लेता रहा तो न्यायालय यह उपधरणा करेगा कि वह धारा 3 और 4 में निर्दिष्ट कार्यों के किए जाने सहित विधिविरुद्ध जमाव के विनिश्चय को प्रभावी बनाने का आशय रखता है और सभी आवश्यक कदम उठाने का विनिश्चय किया है ।	उपधारणा
	7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– “ (घ) विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) अधिनियम, 2011 का कोई उपबंध।”	1951 के अधिनियम 43 का संशोधन
	8. (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि विधिविरुद्ध जमाव के आयोजित होने की संभावना है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसे किसी जमाव के	कतिपय अधिनियमों के प्रतिषेध

Archived

	आयोजित किए जाने और आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के प्रति किसी कार्य को करने का प्रतिषेध करेगा । (2) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट पुलिस प्राधिकारियों को समुचित निदेश देने सहित ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो आवश्यक हों । (3) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे उपाय करेगा जो विधिविरुद्ध जमाव द्वारा किए गए अवैध विनिश्चय के अनुसरण में लक्ष्यित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ।	की शक्ति
	9(1) दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण राजपत्र में जारी अधिसूचना के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा और विशेष न्यायालय की अध्यक्षता सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश की पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी । (2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य या ऐसे भाग की बाबत अधिकारिता	इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण

Archived

	का प्रयोग करेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।	
	10(1) विशेष न्यायालय, ऐसे तथ्य जिससे अपराध गठित होता हो, का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्य की पुलिस रिपोर्ट पर, अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा । (2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय के पास किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होगी और ऐसे अपराध का विचारण करेगा मानो यह सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार यथासंभव सेशन न्यायालय हो ।	विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति
	11(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए संहिता के अधीन उसी विचारण में अभियुक्त पर आरोप लगाया जाए यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबद्ध हो । (2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के लिए भी ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध कर सकेगा	अन्य अपराधों की बाबत सेशन न्यायालय की शक्ति

Archived

	और उसके दंड के लिए अधिनियम या ऐसे अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा ।	
	12. दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।	अपराधों का संज्ञेय अजमानतीय और अशमनीय होना

.....

Archived

परामर्श पत्र का उपाबंध

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुटुम्ब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगोत्र, अन्तर-जातीय और अन्तर-समुदायिक और अन्तर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्व-नियोजित निकायों द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों की बाढ़ आ गई है कई मामलों में, ऐसे निकायों ने हिंसा के उद्दीपन का अवलंब लिया है और विवाह करने के इच्छुक जोड़ों या ऐसे नव विवाहितों को अभित्रास या हिंसा झेलनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उनके घरों तक पीछा किया जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या कर दी जाती है । यद्यपि ऐसे अभित्रास या हिंसा के कार्य भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करते हैं फिर भी, ऐसे जमाव को रोकना आवश्यक है जो ऐसे साहचर्य की निन्दा करने के लिए होते हैं । अतः, यह विधेयक बुराई को पैदा होते ही नष्ट कर देने और ऐसे जन-समूह के माध्यम से घृणा फैलाने या हिंसा के उद्दीपन को रोकने के लिए प्रस्तावित है । विधेयक की परिकल्पना भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य अपराधों के अलावा ऐसे जमाव के विरुद्ध विशेष अपराधों को गठित करने के लिए की गई है ।

.....

Archived